राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

डॉ. सपना गहलोत

(राजनीति विज्ञान) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालयजयपुर (राजस्थान), भारत

सुभिता मील

(राजनीति विज्ञान) ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान), भारत

सारांश

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर की थी। इस लेख में इस नई योजना की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। उम्मीद है कि यह योजना पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके जरिए पंचायतें स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होगी और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े ग्रामीण मुद्दों के सतत समाधान हेतु सहभागिता से योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

संकेताक्षर– ग्राम, स्वराज, योजना, पंचायत, स्थानीय, संवेदनशील, सहभागिता।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न ''सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास'' को पूरा करने का प्रयास है ताकि मजबूत पंचायतों और प्रभावकारी जन भागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–थलग पड़े लोगो तक पहुंचा जा सके। भारत उन गांवों में रहता है जहां लगभग 2 लाख 55 हजार पंचायतें और उनके 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि कार्यरत है। इसमें भी लगभग 46 प्रतिशत (14.39 लाख) महिलाएं है। यद्यपि संविधान ने राज्यों को अधिकृत किया है कि वे पंचायतों को ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं, बावजूद इसके इन संस्थाओं की तीन ''क'' (कार्य, कार्यकर्ता और कोष) के क्षेत्र में अधिकार दिए जाने की स्थिति अध्ययनों के अनुसार उत्साहजनक नहीं है।

इस प्रपत्र में आरजीएसए की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख है और यह प्रतिपादित करता है कि यह अभियान पंचायतों की बहु–प्रतिक्षित आकांक्षाओं को पूरा करेगा जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ने के साथ ही उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और दीर्घकालीन स्थायी विकास (एसडीजी) के रास्ते में आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उन्हे सहभागिता की आयोजना के काम में लगाया जा सके।

आरजीएसए के लक्ष्य

आरजीएसए के प्रमुख लक्ष्य हैः (i) एसडीजी संबंधी विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं की शासन कार्यक्षमता का विकास करना (ii) उपलबध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान देते हुए समेकित ग्रामीण शासन हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के विषयों का समाधान (iii) स्वयं की आय के स्त्रोतों का विकास करने की पंचायतों की क्षमता का विकास करना (iv) जन सहभागिता के मूलमंत्र के रूप में ग्रामसभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता को मजबूत करना और ऐसा करते समय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपेक्षित समूहों, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देना, विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक प्रावधानों का सहयोग सृजित करना, (v) संविधान की भावना और पेसा (पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण, (vi) पंचायती राज संस्थओं के लिए क्षमता निर्माण और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की श्रृखंला का विकास करना, (vii) विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को मजबूत करना और उन्हें अवसंरचनाओं, सुविधाओं, मानव संसाधन विकास एवं लक्ष्य पूर्ति आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवता प्राप्त करने के योग्य बनाना, (viii) स्थानीय आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि के लिए पंचायतों को सक्षम बनाना जिससे कि स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर आधारित दीर्घकालिक आय अर्जन जैसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके (ix) प्रशासनिक सक्षमता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ई–प्रशासन (गवर्नेंस) एवं अन्य तकनीकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना, (x) कार्य निष्पादन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना।

आरजीएसए का विस्तार और वित्तपोषण का प्रकार

आरजीएसए का विस्तार न केवल देश के उन सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशो में किया जाएगा जहां पंचायतें हैं वरन उन क्षेत्रों में भी होगा जहां संविधान का भाग ix लागू नही हैं अर्थात जहां पंचायतें नही है। आरजीएसए में राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों– ''तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना'', ई–पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन जैसे विभिन्न केन्द्रिय योजनाओं जैसे अवयव होंगे वही पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण जैसे राज्य स्तरीय घटक भी होंगे।

Copyright ⓒ 2020Authors

जहां तक केन्द्रीय सहायता की बात है तो इसका शत–प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा वही राज्य घटक का वित्तपोषण पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों को छोडकर सभी राज्यों के लिए 60:40 (60 केन्द्र सरकार द्वारा और 40 राज्य सरकार द्वारा) रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए यह 90:10 रखा गया है। केन्द्रशासित प्रदेशों में शत–प्रतिशत वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

केन्द्रीय सहायता के उप–घटक

केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आने वाले उप–घटक हैः

तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना

तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए) के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप हैं : (i) कार्यक्रम की योजना– प्रबंधन एवं निगरानी (ii) राज्य क्षमता निर्माण योजनाओं के निर्माण और मूल्यांकन में तकनीकी सहयोग (iii) राष्ट्रीय क्षमता प्रणाली (एनसीबीएफ) के अनुरूप क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, (iv) राज्यों में प्रशिक्षण क्षमता की गुणवत्ता सुधारने को सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्तारों पर प्रशिक्षकों के संसाधन संकुल की स्थापना एवं विकास करना, (v) अन्य मंत्रालयों और राज्यों के बीच कार्यक्रमों की एकरूपता को सुगम करना, (vi) विकेंद्रीकरण और शासन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान–अध्ययन करवाना, (vii) अच्छी कार्यशैलियों का पडोसी राज्यों में परस्पर आदान–प्रदान और सीखना, अभिलेखन एवं प्रसारण, (viii) पंचायतों के क्षमता निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण से जुडे तात्कालिक महत्व के मुद्दों पर कार्यशालाएं/सम्मेलन करवाना, (ix) नई पहलों/विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न संस्थानों/विशिष्ट एजेंसियों को समर्थन देना, (x) आरजीएसए की ऑनललाइन निगरानी और रिपोर्टिंग का विकास और उसकी देखरेख, (xi) आरजीएसए की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन (xii) आरजीएसए के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों के सकल मूल्यांकन, निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनएमपीयू) की स्थापना, (xiii) उद्देश्यों के लिए अकादमिक संस्थानों/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग–समझौते करना।

ई–पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना

ऐसा करने से पंचायत–स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में आईसीटी को बढ़ावा मिलेगा। अन्य बातों के अलावा इसमें (i) पंचायतों के लिए वेब–आधारित एप्लिकेशंस का रखरखाव और विकास (ii) क्रियाकलापों की निगरानी के लिए मोबाइल एपों का विकास (iii) साथ ही भारतनेट परियोजना के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के साथ कार्यक्रम एकरूपता और उस तक पंहुच के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

पंचायतों को प्रोत्साहित करना

पंचायतों और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचायतों/राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सेवा प्रदान करने एवं लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पहचान दिलाने हेतु पुरस्कृत किया जागगा। सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायतों को उनके कुल मिलाकर किए जा रहे प्रशासन एवं स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन, उपेक्षित–वंचित समूहों के विकास जैसे मुद्दों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

राज्य योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों का आधार निम्नलिखित गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क (एनसीबीएफ) होगा।

(1) पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायतकर्मियों के लिए चरणबद्ध संतृप्ति की व्यवस्था तथापि मिशन अंत्योदय में शामिल की गई ग्राम पंचायतों एवं नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) पंचायती राज संस्थाओं के लिए ऐसे क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य और टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, डिजिटल लेनदेन (भुगतान) जीपीडीपी सहयोगात्मक योजना इत्यादि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जोर दिया जाएगा। (3) शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ सहयोग समझौते। (4) प्रशिक्षण मॉड्यूलो और सामग्री का विकास– इसमें ई–मॉडयूल, ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल एप, मुद्रित सामग्री, अच्छी कार्यशैलियों पर लघु फिल्में और इनके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए हाथ से चलने वाले प्रोजेक्टर्स एवं अन्य सामग्री। (5) निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए राज्य के भीतर और बाहर के स्थानों पर समय–समय पर नियमित एक्सपोजर उत्कृष्ट ज्ञानार्जन केन्द्र (पियर लर्निंग सेंटर्स–पीएलसी)/इमर्यन साइट्स के तौर पर आदर्श पंचायतों का विकास। (6) क्षमता निर्माण के ऐसे स्थानीय संस्थानों को सहायता जो अनुसूची–VI क्षेत्रों सहित ऐसे क्षेत्र जहां संविधान का भाग XI में स्थित हैं, ग्राम परिषदों और स्वायत्तशासी जिला परिषदों में स्थानीय शासन को सुगम बनाएं।

Copyright ⓒ 2020Authors

प्रशिक्षण के लिए संस्थागत भवन

आरजीएसए के अंतर्गत राज्य एवं जिला–स्तर पर मौजूद प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकता के आधार पर अवसंरचनाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं निर्मित की जाएगी। प्रशिक्षण हेतु बेहतर पहुंच के लिए राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसी) इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि वे प्रशिक्षण देने के अलावा निर्धारित मानक के अनुरूप अनुसंधान करने और अभिलेखों के प्रलेखन का भी कार्य कर सकेंगे।

राज्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ

इसका प्रयोग (1) पंचायतों के वित्तीय एवं कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण, सम्मिलन और विश्लेषण करने के साथ ही सुधारात्मक उपाय करने (2) क्षमता निर्माण, परिष्कृत रिपोर्टिंग और निगरानी के जरिए पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि करना (3) पंचायत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को चालू करने (4) पंचायतों का बजट बनाने, लेखा–जोखा तैयार करने और उसका ऑडिट करने की व्यवस्था को सुधारने, प्रक्रियाओं, प्रपत्रों, प्रारूपों, बहीखातों, वैधानिक नियमों का सरलीकरण इत्यादि।

पंचायतों को ई–सक्षम बनाना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) (ई–एप्लिकेशन) ही कामकाज चलाने और सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ई–सक्षमता का आधार बनेगा।

पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को मजबूत बनाना

पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाएं पंचायतों के कामकाज की आधारशिला है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को सुदृढ़ किया जाना है और इसके लिए मानव संसाधन सहयोग, ग्रामसभा व पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और मजबूत करने अभिविन्यास और स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ या सक्षम संस्थाओं के माध्यम से ग्रामसभाओं व पंचायत राज संस्थाओं का सुदृढ़ करने में मदद दी जाएगी।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

पंचायतों के जरिए बेहतर अभिशासन के लिए विस्तृत संचार रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए विभिन्न प्रकार की आईईसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जो इसप्रकार हैं: (1) पूरे राज्य में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान या पंचायत सप्ताह/पखवाड़ा के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी–बीसीसी) अभियान (2) पंचायतों के अच्छे तौर–तरीकों और नवोन्मेष का प्रदर्शन (3) सोशल मीडिया, मोबाइल एप, दृश्य–श्रव्य मीडिया, कम्युनिटी रेडियों का उपयोग (4) टेलीविजन चैनलों में विशेष कार्यक्रमों/फीचरों का प्रसारण (5) पंचायतों और सरकारी कार्यक्रमों के फायदों के बारे में सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शनियों, मोबाइल वैन के जरिए सूचनाओं का प्रसार (6) संचार सामग्री, जिसमें सामग्री का प्रकाशन और मुद्रण भी शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया सामग्री के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से धन की व्यवस्था की जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए गैप फंडिंग

संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों समेत विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विषयों के बारे में विकास योजनाएं बनाएंगी। इस अनुच्छेद की भावना को ध्यान में रखते हुए पचांयतों /पंचायत–क्लस्टारों की परियोजनाओं को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से सहायता मिलेगी ताकि समूचे इलाके का समन्वित रूप से विकास हो सके। इसकी गतिविधियां अन्य बातों के अलावा विनिर्माण/प्रसंस्करण, उत्पाद विकास, स्थानीय बाजार विकास और साझा सुविधा केन्द्रों की स्थापना, औषधीय पौधों की खेती, गैर–खाद्य वस्तुओं की खेती, बागवानी, पर्यटन विकास समेत गौण कृषि/लघु उत्पादों के विपणन से संबंधित होगी।

पंचायतों को तकनीकी सहायता

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योकि गांवों के स्तर पर तकनीकी जनशक्ति की कमी है। अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता का उपयोग इनमें किया जाएगा (1) ग्राम पंचायत/कलस्टर स्तर पर सेवाओं/तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने में किया जाएगा (2) मददगार कर्मचारी/आईटी, लेखा कार्य, कॉमन सेवा केन्द्रों को कुछ कार्य आउटसोर्स करने, स्वयंसहायता समूहों के प्रशिक्षण, क्लस्टर रिसोर्स की सेवाएं लेने में।

ग्राम पंचायत भवन

पंचायत भवनों के बिना पंचायतों का ग्रामीण सरकार के रूप में कार्य करना बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में इस बारे में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान उपलब्ध है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम पंचायतों की इमारतों और सामुदायिक हॉल के लिए विभिन्न स्त्रोतों से धन उपलब्ध कराएंगे।

Copyright ⓒ 2020Authors

निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्वयं भी विकास के चरण में हैं। इसके अंतर्गत किए गए प्रावधान आधुनिक संदर्भ में बड़े प्रासंगिक है। हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर नतीजों के लिए कार्य निष्पादन पर आधारित भुगतान नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अन्य बातों के अलावा इस पर भी जारे दिया गया है कि सक्षम ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकासकार्यक्रमोंका कारगर तरीके से कार्यान्यन कर सकती हैं और पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण की आवश्कता है, उपयुक्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के रूप में सहायक प्रणाली की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इन सब मुद्दो पर आधुनिकम स्तर पर विचार करता है। यह कहा जा सकता है कि लागू किए जा चुके या लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अनुभवों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में शामिल कर लिया गया है। इस अभियान को कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, यह पंचायतों के 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रियता पर निर्भर करेगा। अगर वे पूरी तत्परता और जागरूकता से कार्य नही करेंगे तो बागडोर राजनेताओं और अफसरशाहों के हाथ में चली जाएगी और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बाकी कार्यक्रमों की तरह महज खानापूर्ति बन कर रह जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. सिंह, एस.के, पंचायत इन शेड्यूल्ड एरियाज, कुरूक्षेत्र मई 2001, पृष्ठ–26
2. पंचायती राज अपडेट, अक्टूबर–2018, इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली
3. लक्ष्मीकांत, एम., भारत की राजव्यवस्था, MCGraw Hill Education, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ सं.–349
4. डॉ. महीपाल, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, कुरूक्षेत्र, जुलाई 2018, पृष्ठ सं.–23
5. https://panchayat.gov.in>Hindi,Annual Plan 2019-20
6. https://www.edristi.in>launching of RGSA
7. https://rural.nic.in>gram-swaraj-abhiyan
8. https://www.chanakyaiasacademy.com>

Copyright ⓒ 2020Authors